(541)

विलोपित विलोपित विलोपित

न्यायालय :— माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्र.क. /2018 निगरानी – 5282/2018/मुरैना/भू.रा.

श्री S.P. Dhakad Adv. द्वारा आज दि. 29-8-18 प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 4-9-18 नियत।

क्लर्क ऑफ कोर्ट 29.8.18
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

1. नरेश सिंह पुत्र नाथू सिंह जाति ठाकुर निवासी ग्राम नगरा तह. पोरसा हाल निवास आदर्श गली पोरसा जिला मुरैना म.प्र.
2. दिनेश कुमार पुत्र श्रीचन्द शुक्ला निवासी पिनहाट रोड़ अम्बाह तह. अम्बाह जिला मुरैना म.प्र.

—— आवेदकगण

SPDhakad Adv.
29.8.18

विरुद्ध

म.प्र. शासन द्वारा तह. पोरसा जिला मुरैना

—— अनावेदक

कार्यालय महाधिवक्ता राजस्व मण्डल
अग्रिम प्रति 4/4 से 08
पृष्ठ संख्या D/
हस्ताक्षर व नाम
29/8/18

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता की धारा 1959 न्यायालय तहसीलदार पोरसा जिला मुरैना, के प्र.क. /क्यू/रीडर–1/2018/922 में पारित आदेश दिनांक 22.07.2018 के विरुद्ध निगरानी प्रस्तुत।

माननीय न्यायालय,

आवेदकगण की ओर से निगरानी निम्न प्रकार पेश है :–

(3)

XXI (a)-BR(H)-11

(541)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-5282/2018/मुरैना/भू.रा.

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
19-12-18	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री एस.पी. धाकड़उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 24-4-19 को कलेक्टर, जिला मुरैना के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	